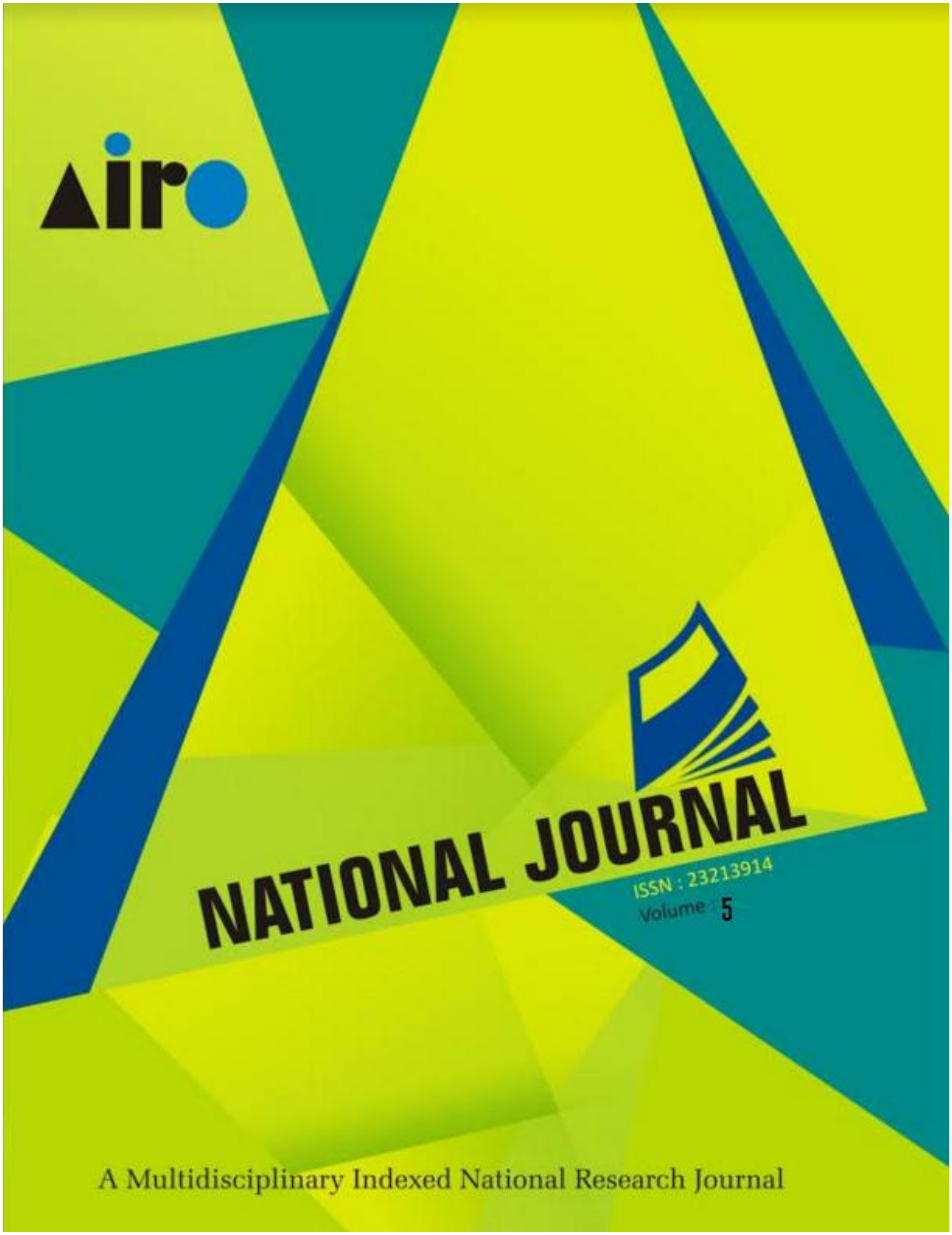
airo
NATIONAL JOURNAL
ISSN : 23213914
Volume : 5
A Multidisciplinary Indexed National Research Journal

शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण

डॉ. राम मेहर सिंह,

एसोसिएट प्रोपफेसर, हिन्दी विभाग

छोटूराम किसान स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, जीन्द।

Declaration of Author: I hereby declare that the content of this research paper has been truly made by me including the title of the research paper/research article, and no serial sequence of any sentence has been copied through internet or any other source except references or some unavoidable essential or technical terms. In case of finding any patent or copy right content of any source or other author in my paper/article, I shall always be responsible for further clarification or any legal issues. For sole right content of different author or different source, which was unintentionally or intentionally used in this research paper shall immediately be removed from this journal and I shall be accountable for any further legal issues, and there will be no responsibility of Journal in any matter. If anyone has some issue related to the content of this research paper's copied or plagiarism content he/she may contact on my above mentioned email ID.

शिक्षा मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य होने के साथ–साथ वांछनीय ल्क्ष्यों की पूर्ति का एक उपयोगी साध्न भी है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व व बुि(का विकास कर, उसे आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यों को सम्पन्न करने के योग्य बनाती है। शिक्षा को एक ऐसे उपकरण के रूप में भी मान्यता दी गयी है, जिसकी सहायता से समाज में परिवर्तन व विकास के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि मानव अध्किारों के सार्वभौमिक घोषणा–पत्रा में शिक्षा को प्रत्येक मनुष्य के मूल अध्किारों में से एक माना गया है।

जब महिला शिक्षा की चर्चा की जाती है तो स्पष्टतः देखा जा सकता है कि इस संदर्भ में भी वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना शेष हैं। परंतु साथ ही यह सच है कि स्त्राी शिक्षा की आवश्यकता व उपयोगिता को प्रति मानव समाजों की समझ क्रमशः बढ़ रही है। विश्वभर में स्त्रियों की स्थिति सुधरने के लिए किये गये आंदोलनों में, उनकी निम्न स्थिति को बदलने के लिए, शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साध्न माना गया है। 19 वीं शताब्दी के भारतीय समाज सुधरकों का भी ऐसा ही मत था। परंतु प्रारतम्भिक काल में महिला शिक्षा का उपयोग, महिला को एक पत्नी व माता के परमपरागत कर्तव्यों के और अध्कि कुशलतापूर्वक निर्वाह करने के योग्य बनाना था, न कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास प्रक्रिया में उनकी अध्कि दक्ष व कुशल भागेदारी हेतु उन्हें सक्षम करना था। धीरे–धीरे स्थिति में परिवर्तन आया तथा विशेषरूप से स्वंतत्राता के पश्चात स्त्राी शिक्षा के महत्व को उसके विविध् व विस्तृत आयामों के संदर्भ में देखा जाने लगा और इन्हीं विविध् आयामों में शामिल है, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की समानता व सशक्तिकरण के अर्थपूर्ण प्रयासों की संभावना। आज : स्पष्टतः माना जाने लगा है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला, समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है।

भारत में स्वतंत्राता के पश्चात, संविधन द्वारा प्रदेश समानता के अध्किारो ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज मे बहुविध् भूमिका निर्वाह करने के लिए महिलाओं का आहवान करने उनकी स्थिति सुधरने हेतु नये–नये आयाम प्रस्तुत किये। संविधन की धरा 45 में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उदेश्य से, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक ‘नीतिनिर्देशक’ सिांत घोषित किया गया है। इसमें कहा गया–‘राज्य इस संविधन के कार्यान्वित किये जाने के समय से दस वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निशुल्क एवं अनिवार्य, शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।’

द्वितीय विश्वयु(के बाद वर्षो में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी एक ऐसे उपकरण के रूप में शिक्षा की भूमिका पर बल दिया जो नई समाजव्यवस्था का निर्माण करने के लिए स्त्रिायों को सक्षम बना सकें। आज महिलाओं के मानवीय अध्किारों तथा समाजों व राष्ट्रों के विकास, दोनों ही संदर्भ में महिला शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार किया जाने लगा है। यही कारण है कि आज भारत में भी लड़कियां व महिलाओं की शिक्षा प्रमुख नीतिविषयक तत्व बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ;एन. ई. पी. 1986द्ध में न केवल महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की समस्या की चर्चा की गयी है बल्कि साथ ही शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी उठाया गया है। इस हेतु लैंगिक विषमताओं की समाप्ति को भी मुख्य प्राथमिकता देने की इस शिक्षा नीति में चर्चा है। अब 93 वें संशोध्न ;2001द्ध के द्वारा शिक्षा को मौलिक अध्किार मान लिया गया है।

प्रस्तुत लेख में महिलाओ की समानता व सशक्तिकरण के संदर्भ में शिक्षा के महत्व व उपयोगिता की चर्चा की गयी है। विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर महिलाओं की स्थिति की जांच कर, यह जानने का प्रयास किया गया कि शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य तक पहुंचने की क्या संभावना हो सकती है। किसी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जबकि उस समाज में महिलाओं व पुरूषों को समान अध्किार व अवसर प्राप्त हों। इन अध्किारों व अवसरों की कानूनी व सै(ांतिक मान्यता के साथ–साथ समाजों में व्यवहारिक स्वीकार्यता भी अनिवार्य है। महिलाओ की स्थिति की जांच करने से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि यद्यपि कानूनी व सै(ांतिक संदर्भो में उनके अध्किारों व अवसरों में कोई नहीं है परंतु व्यवहारिक स्वीकार्यता के संदर्भ में अभी अभीष्ट लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सके हैं। जब हम महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं तो महिलाओं को स्थिति का आकलन लैंगिक विकास से संबंध्ति कुछ महत्वपूर्ण सूचको के विश्लेषण के आधर पर किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों व राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधर व पिछड़ेपन का आकलन करने में इन सूचकों का विशेष

महत्व व सार्थकता है। कुछ प्रमुख सूचक इस प्रकार माने गये हैं–

’ कार्यात्मक सहभागिता ’ शिक्षा ’ स्वास्थ्य ’ जीवन अवधि ’ सुरक्षा

’ सार्वजानिक / निजी जीवन में निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता आदि–आदि विकास संबंधी उपर्युक्त सूचकों में से प्रस्तुत लेख में केवल शिक्षा को लिया गया है। विभिन्न शैक्षिक सूचकों के विस्तृत विश्लेषण से पूर्व महिलाओं के संदर्भ में ‘समानता’ व सशक्तीकरण इन दो अवधरणाओं का स्पष्टीकरण करना भी उचित होगा।

समानता

समानता का सामान्य अर्थ है– ‘समान अवसरों की उपलब्ध्ता’ विस्तृत अर्थों में कहा जा सकता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन में, बिना किसी भेदभाव के अवसरों की समान उपलब्ध्ता ही ‘समानता’ है।

समानता के संवैधनिक आश्वासन व व्यवस्था के बावजूद, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के चलते लैंगिक विषमताओं को पूर्णतः समाप्त किया जाना संभव नहीं हुआ है। लैंगिक असमानता की जड़ें मुख्यतः सत्ता व शक्ति संबंधें, जाति, वर्ग संस्तरण, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं, प्रथाओं व नियमों पर आधरित रही हैं।

सशक्तीकरण

लैंगिक विषमताओं को प्रोत्साहित करने वाली परंपरागत संस्थाओं व संरचनाओं में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे कि महिलाओं की समानता सुनिश्चित हो सके, महिला सशक्तीकरण का आधर माना गया है। महिला सशक्तीकरण के कुछ परिभाषित मानक इस प्रकार माने गये हैं।

’ महिलाओं में आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की भावना विकसित करना।

’ महिलाओं की सकारात्मक छवि का निर्माण –यह कार्य सामाजिक आर्थिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देकर किया जा सकता है।

’ महिलाओं में आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता का विकास करना।

’ निर्णय लेने की क्षमता का पोषण व उसे उन्नत करना।

’ आर्थिक स्वंतत्राता हेतु सूचना, ज्ञान व कुशलता उपलब्ध कराना।

’ महिलाओं से कानूनी ज्ञान का विकास तथा स्वयं के अध्किारों संबंधी सूचनाओं तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना।

’ सामाजिक –आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्राों में समान रूप से उनकी सहभागिता में वृ(हेतु प्रयास करना। विकास प्रक्रिया में समान भागेदारी सुनिश्चित करना।

महिला समानता व सशक्तीकरण संबंधी उपर्युक्त मानकों की व्यवहार प्राप्तियों के संदर्भ में निश्चय ही शिक्षा को एक आधरभूत उपकरण माना जा सकता है,

परंतु इस संदर्भ में कुछ विचारणीय प्रश्न भी हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं–

’ क्या महिला साक्षरता दर व शैक्षिक स्तर को उन्नत करके लैंगिक समानता को सुनिश्चित किया जा सकता है?

’ क्या यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि महिलाओं के शैक्षिक स्तर में सुधर से लैंगिक विकास निश्चित रूप से होगा?

यद्यपि लैंगिक समानता, विकास व महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में शिक्षा की निश्चित व महत्वपूर्ण भूमिका मानी गयी है परंतु यह कहना भी कठिन है कि केवल शैक्षिक स्तर में सुधर से ही महिला सशक्तीकरण सुनिश्चित होगा। कारण यह है कि लैंगिक विषमता व पक्षपात की वर्तमान स्थिति मुख्यतः अनेक सामाजिक – सांस्कृतिक कारकों व पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना का परिणाम है। अतः केवल शैक्षिक स्तर में वृ(के आधर पर इसके समाप्त किये जा सकने का दावा नहीं किया जा सकता, तो भी शिक्षा की उपयोगिता को कम करके नहीं देखा जा सकता। वस्तुतः शिक्षा ही वह मुख्य उपकरण है जिसका महिलाओं की स्थिति व सशक्तीकरण पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। अतः महिलाओं की साक्षरता दर एवं उनके शैक्षिक स्तर के विश्लेषण व विवेचना के आधर पर उनकी स्थिति का आकलन करना संभव है।

प्रस्तव लेख में महिला शिक्षा से संबंध्ति निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण किया गया है।

’ महिलाओं का साक्षरता स्तर अ साक्षरता स्तर के संदर्भ में विद्यमान लैंगिक असमानता।

’ प्राथमिक व माध्यमिक शैक्षिक स्तर पर बच्चों का स्कूल में नामांकन तथा ड्रापआउफट दर। अ बच्चों के स्कूल न जाने का कारण।

’ विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर लड़के व लड़कियों को स्कूल में कालेज में नामांकन का तुलनात्मक विश्लेषण।

प्रस्तुत लेख को शासकीय स्रोतों से उपलब्ध् नवीनतम द्वैतीयक आंकड़ों पर आधरित किया गया है। विभिन्न शैक्षिक सूचकों के आधर पर राज्यवार महिलाओं के शैक्षिक स्तर को जांचने का प्रयास भी किया गया है। विभिन्न राज्यों में महिलाओं के तुलनात्मक शैक्षिक स्तर को ज्ञात करने के लिए एक सामान्य ‘श्रेणी क्रम’ तरीके को अपनाया गया है। शैक्षिक संदर्भ में राज्यों को पदानुक्रम निम्नतम से उच्चतम की ओर दिये गये हैं। इस प्रकार श्रेणी क्रम 1 उसे राज्य को दिया गया है जो कि शैक्षिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ है तथा उच्चतम पद उस राज्य को दिया गया है। जिसकी शैक्षिक स्थिति सबसे अच्छी है।

महिलाओं की वर्तमान शैक्षिक स्थिति

नियोजित विकास प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण के अतिरिक्त शिक्षा को भी महिलाओं के

विकास हेतु आवश्यक माना गया। स्कूल में बच्चों के नामांकन व ड्रापआउफट के संदर्भ में पायी जाने वाली असमानताओं को कम करने के लिए शासन द्वारा विशेषकर छठी योजना, प्रयास किये गये। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं

;विशेषकर छठी योजना, 1980—85 सेद्ध में भी शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की गयी। इस संदर्भ में स्थानीय स्तर के संगठनों, मुख्यतः अनौपचारिक शिक्षा के लिए कार्यरत संगटनों की संलग्नता को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। परंतु विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की नामांकन वृि(हेतु किये गये प्रयास तब तक अध्कि प्रभावी नहीं हो पायेंगे तब तक कि स्कूलों में उनकों निरंतर उपस्थित रहने हेतु तत्पर न किया जा सके। लड़कियों की ड्रापआउफट दर, उनके नामांकन हेतु किये गये प्रयासों की निष्फल कर देती है।

किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्राप्ति के संदर्भ में प्रथम कदम होता है 'साक्षरता अर्थात पढ़ने —लिखने की क्षमता का होना। पिछले दशक ;1991—2001द्ध में महिला साक्षरता की दर में 15 प्रतिशत की वृि(होना उत्साहजनक माना जा सकता है। 1991 की 39 प्रतिशत की तुलना में 2001 में महिला साक्षरता दर का 54 प्रशित तब हो जाना उल्लेखनीय सुधर माना जा सकता है। ;सारणी द्ध यह सब निश्चिय ही शासकीय व अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये गये प्रयासों का ही परिणाम है।

उच्च शिक्षा और महिलाएं

प्राथामिक शैक्षिक स्तर पर अपेक्षाकृत कम नामांकन तथा विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर स्कूल छोड़ देने के कारण बहुत कम संख्या में लड़कियों उच्च शिक्षा तक पहुंच पाती है। परंतु उत्साहजनक तथ्य यह है कि आज उच्च शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्राों में लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही है। कला व चिकित्सा जैसे क्षेत्राों में पहले भी थोड़ा बहुत लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती थी। परंतु साइंस, इंजीनियरिंग व कामर्स आदि में तो उनकी सख्ंया न के बराबर थी। परंतु अब इन सभी क्षेत्राों में लड़कियां अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। 'मानव संसाध्न विकाास मंत्राालय के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रति 100 लड़कों में लड़कियां की संख्या आंकड़े दिये हैं। आंकड़ो के अनुसार 1950—51 में प्रति 100 लड़कों में कला संकाय में 15.4 प्रतिशत चिकित्सा में 18.5 प्रतिशत लड़कियां थी। परंतु साइंस ;0.0प्रतिशतद्ध कामर्स ;0.5 प्रतिशतद्ध व इंजीनियरिंग ;0.3 प्रतिशतद्ध में लड़कियां लगभग नहीं थी। परंतु 1998—99 के आंकड़ों के अनुसार इन सभी क्षेत्राों में छात्राओं की संख्या में उल्लेखनीय वृि(हुई है। प्रति 100 लड़कों में कला ;18.1 प्रतिशतद्ध चिकित्सा ;62.1 प्रतिशतद्ध, साइंस ;55.2 प्रतिशतद्ध, कामर्स ;46.1 प्रतिशतद्ध तथा तकनीकी शिक्षा ;24.3 प्रतिशतद्ध के क्षेत्रा में लड़कियों की संख्या में वृि(को पर्याप्त माना जा सकता है। यद्यपि सभी शैक्षिक स्तरों पर लैंगिक असमानता आज भी विद्यमान है परंतु स्त्रिायों की स्वयं की

साक्षरता दर व शैक्षिक स्तर में हुई प्रगति को उत्साहजनक माना जा सकता है। इन सभी शैक्षिक उपलब्धियों ने निश्चय ही एक वर्ग के रूप में महिला को सशक्त किया है।

शिक्षा व शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के जमीनी सच्चाई से जुड़े प्रसंग समय–समय पर चर्चित होते रहे हैं। साक्षरता व शिक्षा हेतु चलाये गये अभियानों से महिलाओं मे जागरूकता व गयात्मक प्रेरणा उत्पन्न हुई है। उदाहरणार्थ – आन्ध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा 'अरक' ;शराबद्ध के विरू(सशक्त रूप से चलाया गया आंदोलन ;जिसमें उन्हें हिंसा का सामना भी करना पड़ाद्ध। मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से प्राप्त जागरूकता का ही परिणाम था। 'महिला सामख्या' कार्यक्रम व 'सेवा' ;सैल्पफ इम्प्लाइड वीमैन्स एसोसिएशनद्ध जैसे संगठनों का भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा में लैंगिक विषमता समाप्त करने हेतु राजस्थान की 'लोकजुम्बिश' तथा 'शिक्षाकर्मी' आदि कार्यक्रमों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस शैक्षिक जागरूकता के चलते ही महिलाओं संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। अब महिला कार्यक्रमों का 'पफोकस' महिला कल्याण से थोड़ा हटकर 'महिला अपने कल्याण के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं बल्कि स्वयं समर्थ होगी। इस हेतु महिलाओं को शिक्षक रूप से और सुदृढ़ करना होगा। साक्षरता दर विभिन्न शैक्षिक रूप से और उनकी स्थिति को निंरतर उन्नत करना होगा। शिक्षा में लैंगिक असमानता को समाप्त करने हेतु प्रयासरत होना होगा। इस संदर्भ में सन् 2010 तक संभावित रूप से प्राप्त किये जा सकने वाले सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य हेतु चलाये जा रहे 'सर्वशिक्षा अभियान' जैसे कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा से संचालित किये जाने की आवश्कता है। तभी शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकना संभव होगा।

....

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. महिला सशक्तीकरण : डॉ बलबीर सिंह

2. नारी शिक्षा : एक महत्वपूर्ण पहल : डॉ. प्रदीप कुमार

3. विकास और महिलाः डॉ. विश्वकान्ता प्रसाद

4. महिला और समाज : डॉ. शिव प्रसाद

5. महिला उत्पीड़न : डॉ. अशोक कुमार

6. नारी जीवन और चुनौतियां : डॉ. चन्द्रमणि सिंह

7. नारी के बढ़ते कदम : डॉ. विनय कुमार

8. भारत में महिला शिक्षा : डॉ. कांति कुमार

9. नारी जीवन : विनोद सिंह